अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सुपौल**....., सं0.....101....., सन् .....**...2026...**.....

केस का प्रकार.....**रजिस्ट्रेशन अपील**.....**(रेखा चन्दन एवं अन्य बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
01.07.2026	अपीलार्थी उपस्थित । प्रस्तुत वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के रजिस्ट्रेशन वाद सं0-33/2024 में दिनांक-27.05.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है । दिनांक-01.07.2026 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद में ''भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47-A(6) के अन्तर्गत देय कमी मुद्रांक शुल्क की 50 (पचास) प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में जमा कर भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा -47-A(4) के अन्तर्गत प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष निम्न न्यायालय के आदेश निर्गत की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अन्दर अपील दायर करने का प्रावधान है ।'' अतः उपरोक्त के आलोक में अपीलार्थी को देय कमी मुद्रांक शुल्क की 50 (पचास) प्रतिशत राशि अग्रिम राशि के रूप में जमा कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर आयुक्त न्यायालय में वाद दायर कर सकते है । इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । लेखापित एवं सत्यापित । आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा । आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा ।	c

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा